

204

प्रेषक,

एच०पी० सिंह,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्नति कार्यक्रम विभाग।

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में इंटरलाकिंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किशत की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-415/76/एक/एवीएनबीवीवाई/2013-14, दिनांक 08 नई. 2015 व संख्या-841/76/एक/एवीएमबीबीवाई/2013-14, दिनांक 03 जून, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" योजनावन्नगत अनुदान संख्या-37 से जनपद-फिरोजाबाद की ०३ परियोजनाओं एवं जनपद-सोनभद्र की निकाय-राबैठसंगंज, दुधी व घोरावल की ०६ परियोजनाओं (३३ कार्यों) अर्थात् उक्त जनपदों की विभिन्न निकायों की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित कुल ०९ परियोजनाओं के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट में प्राविधानित धनराशि से ₹० 338.75 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त जनपदों के सापेक्ष परियोजना लागत का ५० प्रतिशत अर्थात् ₹० 169.375 लाख की धनराशि प्रथम किशत के रूप में शासनादेश संख्या-198/69-1-2014-01(बजट)/2014, दिनांक ०३ मार्च, 2014 द्वारा जारी की गयी थी। अतएव वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से जनपद-सोनभद्र की निकाय-राबैठसंगंज, दुधी व घोरावल की ०५ परियोजनाओं (२८ कार्यों) के कार्यों को पूर्ण करने हेतु संलग्न तालिका के स्तम्भ-६ में अकिञ्चित द्वितीय/अंतिम किशत की धनराशि ₹० 87.705 लाख (रूपये सतासी लाख सत्तर हजार पाँच सौ भास्त्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-३२/६९-१-१३-१४(३१)२०१२टीसी, दिनांक १६ जनवरी, २०१३ में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-६ के अध्याय-१२ के प्रस्तर-३१८ में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

Act (प्र०)  
13/7/15  
13/7/15

13/7/15  
6pm

3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्यों की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्राप्त वाक्य कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित रामय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उन्हाँ लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध वता ही जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निवाय वे अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दौड़ा में उसी कार्य/मद में विद्या जायेगा। विसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमत्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/टाकधार/डिपोजिट खाते में नई राशि जायेगी। इवीनुल धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के सम्बन्धित किये जाने का पूर्ण व्यापक उपरान्त संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुनिश्चित प्रावधानी/रामय-समय एवं सम्बद्ध द्वारा निर्णय शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवधुक्त करने से पूर्व यह द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के अध्यार्थों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसके कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्वीकृत को कम करके अथवा द्वारिधारों को द्वारा दूसरे लागत अंकलित नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध वता ही जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निष्पाण इकाई को अवधुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित एवं जिला जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा विसी अन्य योग से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कारण योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विवृति/पुनरावृति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30400, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मुख्य कार्यक्रम विभाग, 30 प्र० शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपणान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेषाशीर्षक वी सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाए और इसे बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत योजनान्तर्भत प्राविधानित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियाँ का विकास-051-निर्माण-03-मलिन बस्तियाँ तथा अत्यसंचयक बाहुन्य बस्तियाँ में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग नाली आदि वा निर्माण-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के तात्त्व डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/वी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।
- संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,  
एच०पी० सिंह  
विशेष सचिव।

संख्या-६८२/2015/1660(1)/69-1-2015 तदिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, ३०प्र०, २० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठ्यां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मुलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सोनभद्र।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-८) अनुभाग, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग, ३०प्र० शासन।
8. वित्त नियंत्रक राज्य बगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वैद्य मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा दी,  
(एच०पी० सिंह)  
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-652/2015/1660/69-1-2014-01(बजट)/14 दिनांक 13 जुलाई, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	परियोजना की कुशलागत	द्वितीय/अंति म दिशा के रूप में स्वीकृति योग्य धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सोनभद्र	राबर्टसगंज	वार्ड सं० 06 में धनुषधारी के मकान से रामदलारे के मकान से होते हुए स्व० 0 रसीद गिस्त्री के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण।	14.11	7.055
			वार्ड सं० 06 डा० सिंगला के मकान से बचाऊ सोनी के मकान के पास पुलिया तक बड़ी नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	33.59	16.795
			वार्ड नं० 06 में शीतल आईस्क्रीम से होते हुए बल्नी के मकान होते हुए अमिवका शुक्ला के मकान व दुन्दुन सोनकर के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	30.67	15.335
			वार्ड सं० 06 में स्व० लल्ला सोनी के घर के पीछे कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	0.91	0.455
			वार्ड सं० 06 में चब्बे यां के घर से पप्पू के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	1.00	0.50
			वार्ड नं० 06 में शब्द्य के घर से रसीद गिस्त्री के घर तक नाली निर्माण कार्य।	1.50	0.75
2	सोनभद्र	दुर्दी	वार्ड स० 04 में मुहम्मद हुसैन के पर से हसन रजा के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.41	2.205
			वार्ड नं० 11 में जेम्स स्कूल से शहीद के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	8.90	4.45
			वार्ड सं० 11 में अशफाक अहमद के घर से मध्य पुलिया तक नाली निर्माण कार्य।	1.68	0.84
3	सोनभद्र	राबर्टसगंज	वार्ड सं० 10 में जब्बार भाई के घर से सफू (गुन्ना) भाई के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	9.82	4.91
			वार्ड सं० 10 में डुब्बल भाई के घर के पीछे से शमशाद चाय वाली गली तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	2.74	1.37
			वार्ड सं० 10 में राजू वैटी वाली की गली से गतिन इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	1.33	0.665
			वार्ड सं० 11 में लल्ला सौदागर वाली गली तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	2.53	1.265
			वार्ड सं० 10 में फरीद खान वाली गली में नाली निर्माण कार्य।	3.25	1.625

			वार्ड सं० १० में सदेरा मेडिकल से पूरब तरक गली में इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	2.02	1.01
4	सोनभद्र	धोरावल	न०पं० धोरावल के वार्ड नं० ५ में फौजदार के मकान से से कहिस्तान होते हुए जाहिर के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य।  न०पं० धोरावल के वार्ड नं० ५ में सूखेदार के मकान से हरिजन वस्ती सम्पर्क भागी तक इण्टरलाकिंग का कार्य।  न०पं० धोरावल के वार्ड नं० ५ में बचन्ने के मकान से विहारी के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य व पुलिया का निर्माण का कार्य।  न०पं० धोरावल के वार्ड नं० ५ में गन्नी खाँ के मकान से बगल में आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण कार्य।  न०पं० धोरावल के वार्ड नं० ५ में असगर के मकान से तुला के मकान होते हुए गन्नी खाँ के प्लाट तक नाली का निर्माण कार्य।  न०पं० धोरावल के वार्ड नं० ५ में बहाव खाँ के मकान से गन्नी खाँ के प्लाट तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	4.74	2.37
				4.45	2.25
				5.05	2.575
				2.485	1.24
				4.19	2.095
5	सोनभद्र	धोरावल	न०पं० धोरावल के वार्ड नं० ८ में धोरावल भीरबोपुर रोड से हाफी जी के मकान के पीछे होते हुए राधा देवी के बगीचे तक इण्टरलाकिंग कार्य।  न०पं० धोरावल के वार्ड नं० ८ थोली के प्लाट से सलीम के मकान तक नाला वा निर्माण कार्य।  न०पं० धोरावल के वार्ड नं० ८ में उसरहवा वरती के पीछे पुलिया का निर्माण कार्य। (२ नग)  न०पं० धोरावल के वार्ड ८ में राम के मकान से इनागुल के मकान के आगे सड़क तक इण्टरलाकिंग का कार्य।  न०पं० धोरावल के वार्ड नं० ८ में इन्द्रीश के मकान से जूकिर के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य।  न०पं० धोरावल के वार्ड नं० ८ में सलीम के मकान से मदरसा तक इण्टरलाकिंग का कार्य।  न०पं० धोरावल के वार्ड नं० ८ में असगर के मकान से बरकत के मकान होते हुए जब्बार के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	4.51	2.25
				5.33	2.675
				4.27	2.135
				3.39	1.695
				4.59	2.295
				4.80	2.40
				3.30	1.65
		योग		175.41	87.705

(रूपये सतासी लाख सत्तर हजार पांच सौ मात्र)

(अचल्यूट सिंह)  
दिशेष समियोग